अध्याय IV: कोयला मंत्रालय

केन्द्रीय कोल्फील्ड लिमिटेड

4.1 लाभकारी प्रभारों का संशोधन न करना

केन्द्रीय कोल्फील्ड लिमिटेड (सीसीएल) ने रेलवे साइडिंग से बड़े आकार के कोयले के चयन हेतु गैर-कोयला क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर 2002 में ₹ 130 प्रति टन लाभकारी प्रभार की शुरूआत की। अप्रैल 2002 के अनुसार ₹ 130 की राशि रोम तथा स्टीम कोयले के प्रति टन खदान निकास मूल्य के बीच अन्तर थी। हालांकि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 2009-10 में इस अन्तर को ₹180 तक बढ़ाया गया तथा अन्य सहायक कम्पनी द्वारा लागू किया गया था, फिर भी सीसीएल द्वारा ऐसा लागू नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.63 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

केन्द्रीय कोल्फील्ड लिमिटेड (सीसीएल) के प्रबन्धन, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक कम्पनी ने देखा (2001-02) कि गैर-कोयला क्षेत्र के उपभोक्ता जो सीसीएल की रेलवे साइडिंग से बड़े आकार के कोयले के अधिक चयन में लगे रेलवे द्वारा लिंकेज/प्रत्याभूति के तहत, जब आपूर्ति हेतु रैकों को रखा गया था तब कोयला प्राप्त कर रहे थे। ऐसे चयन हेतु स्थानीय ग्रामीणों को काम पर लगाया गया तथा उनका भुगतान उपभोक्ताओं के हैंडलिंग एजेंटों द्वारा किया गया। इस प्रकार गैर-कोयला क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा बाहरी सामग्री छोड़ते हुए बड़े आकार के कोयले को उठाने की अनुमति दी जा रही थी जिसका परिणाम मैनुअल लाभ में हो रहा था। हालांकि बाद में कोयला, पे-लोडर्स द्वारा रैकों पर लोड किया गया। इसलिए रन ऑफ माइन (आरओएम) कोयले तथा स्टीम कोयले के उस समय के खदान निकास मूल्य के बीच भिन्नता के समान ₹ 130 (लाभकारी प्रभार)** प्रति टन के एक अतिरिक्त प्रभार को सीसीएल बोर्ड द्वारा (अप्रैल 2002) अपने गैर-कोयला क्षेत्र के रेल सेल उपभोक्ताओं से वसूलने हेतु स्वीकृत किया गया। पिट हैड आरओएम कोयले तथा पिट-हैड स्टीम कोयले के लाभकारी प्रभारों के बीच अन्तर की वृद्धि पर निर्भर करते हुए सीसीएल द्वारा कोयले के रोड विक्रय को 2004 में ₹ 165 प्रति टन से ब ढ़ाकर 2009-10♣ में ₹ 180 प्रति टन कर दिया गया।

तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि सीसीएल ने रेल विक्रिय के माध्यम से गैर-कोयला क्षेत्र हेतु ₹ 130 प्रति टन के लाभकारी प्रभारों को 2002 में अपने प्रारम्भ तक (यह मामला 19.04.2002 के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक का एक मुख्य एजेंडा नहीं बना) संशोधित नहीं किया जो ₹130 प्रति टन की दर से जारी रहा। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सीआईएल द्वारा 2004 तथा 2009 मे हुए क्रमबद्ध मूल्य संशोधन से क्रमशः ₹ 165 प्रति टन की दर से तथा ₹180 प्रतिटन की दर से बढ़े स्टीम प्रभारों को सीसीएल द्वारा आरओएम आकार के कोयले के रोड सेल के प्रेषणों हेतु लगाया जा रहा था। इसी तरह से भारत कुकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में सीआईएल की अन्य सहायक

** ** सीआईएल के मूल्य आशोधन खंड सं. 12 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि "कोयले के विशिष्ट आकार अथवा लाभ के लिए, क्रेता तथा उत्पादक के बीच तय अतिरिक्त प्रभार, पिट-हैड मूल्यों के अतिरक्त वसूल किए जाएं"।*

कम्पनी से आरओएम तथा स्टीम कोयले के बीच अन्तराल की वृद्धि के अनुरूप कोयले के रोड तथा रेल विक्रय दोनों के मामले में समय-समय पर लाभकारी प्रभारों को बढ़ाया गया। गैर-कोयला क्षेत्र के उपभोक्ताओं के रेल विक्रय हेतु लाभकारी प्रभारों के गैर-संशोधन के परिणामस्वरूप 2008-09 से 2010-11 की समयावधि के दौरान सीसीएल में ₹ 73.63 करोड़ के राजस्व की कम उगाही हुई।

प्रबन्धन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया (फरवरी 2012 तथा नवम्बर 2012) किः

- अगस्त 2011 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर वर्तमान समय हेतु लाभकारी प्रभार न बढ़ाने का निर्णय लिया गया तथा रेल विक्रय के लाभकारी प्रभार की वृद्धि की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में ही जाएगी।
- "लेफ्ट बिहाइंड चार्जिस" के कारण व्यय की गई राशि को ₹ 130 प्रति टन लाभकारी प्रभार के उद्ग्रहण द्वारा तथा गैर-कोयला क्षेत्र के उपभोक्ता द्वारा स्वयं ही वहन किया जाता है। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 की समयावधि के दौरान सीसीएल ने हानि की भरपाई नहीं की परन्तु 2008-09 की अवधि के दौरान ₹ 2.77 करोड़ तथा 2009-10 की अवधि के दौरान ₹ 10.40 करोड़ भी अर्जित किए।
- भारी गिरावट के कारण लाभ की तुलना में कमी हेतु निर्मुक्त राशि अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 की समयावधि हेतु निर्धारित की गई जिससे स्पष्ट होता है कि ₹ 130 प्रति टन की दर से लाभकारी प्रभारों के लिए जारी राशि लगभग ₹18.06 करोड़ है क्योंकि एक समान अवधि हेतु अवशिष्ट कोयले के प्रति गुणवत्ता कमी लगभग ₹13.90 करोड़ पाई गई। इसलिए लाभकारी प्रभारों की वृद्धि तर्कसंगत नहीं थी।
- एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, सीआईएल के सतर्कता विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि उनकी जांच से पता चला कि सीआईएल की प्रत्येक अधिसूचना के अनुसार मूल्य अन्तर वृद्धि के कारण लाभकारी प्रभार न बढ़ने से सीसीएल को हानि हुई। यह भी कहा गया कि मामला सेवारत बोर्ड स्तर के अधिकारियों की जांच स्वीकृति के अनुरूप कोयला मंत्रालय (एमओसी) को भेजा (अप्रैल 2011) गया जो प्रतीक्षित था।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित के प्रति देखा जाना है।

(i) प्रबन्धन द्वारा रेल विक्रय के मामले में लाभकारी प्रभारों को अभी तक संशोधित नहीं किया गया तथा उन्हें ₹ 130 प्रति टन की पुरानी दर पर जारी रखा गया। बीसीसीएल, सीआईएल की अन्य सहायक कम्पनी ने कोयले की मूल्य अधिसूचना के संशोधन के साथ रेल विक्रय तथा रोड विक्रय दोनों के मामले में कोयले के लाभकारी प्रभारों को संशोधित किया। रेल द्वारा कोयले की आपूर्ति के मामले में बीसीसीएल आज की तारीख तक ₹ 180 प्रति टन लाभकारी प्रभार के रूप में वसूल कर रहा है।

(ii) यद्यपि सीसीएल ने ₹ 130 प्रति टन की दर पर लाभकारी प्रभारों के उद्ग्रहण द्वारा 2008-09 से 2009-10 की समयावधि के दौरान ₹ 13.17 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथापि, लाभकारी प्रभारों के 2004 में ₹ 130 से ₹ 165 तथा 2009-10 में ₹ 180 प्रतिटन के गैर-संशोधन के कारण 2008-09 से 2010-11 की समयावधि के दौरान कम्पनी, ₹ 73.63 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व उपार्जित करने से वंचित रहीं।

(iii) भारी गिरावट केवल राख प्रतिशतता के संदर्भ में कोयले की गुणवत्ता के साथ संबंधित है तथा इसका लाभकारी प्रभार से कोई संबंध नहीं है। सीआइएल की उच्चाधिकार समिति की 06.09.2006 को आयोजित बैठक की चर्चा के दर्ज नोट से यह स्पष्ट है कि प्रबंधन ने आरओएम कोयले तथा स्टीम कोयले के मूल्य अन्तर जैसाकि उस समय प्रचलित था, होते हुए ₹ 130 प्रति टन के लाभकारी प्रभार पर कार्य किया न कि राख से संबंधित ग्रेड और कोयले की गुणवत्ता के संदर्भ में।

(iv) यद्यपि उत्तर (फरवरी 2012) में यह कहा गया था कि समिति द्वारा मामलें की समीक्षा नियमित अन्तराल पर की जाएगी तथापि रेल विक्रय के माध्यम से गैर-कोयला क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आपूर्त किए कोयले के लाभकारी प्रभार के संशोधन के संदर्भ में अगस्त 2011 के बाद, प्रबंधन द्वारा ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई।

(v) यह उल्लेख प्रांसगिक है कि लाभकारी प्रभारों में वृद्धि "पब्लिक एट लार्ज " के ब्याज के प्रति नहीं की जाएगी क्योंकि ऐसे प्रभार बिजली, स्टील, सीमेंट तथा उर्वरक जैसे गैर-कोयला क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर उद्ग्राहय हैं।

(vi) इसके अलावा, यह मामला सीआईएल सतर्कता शाखा द्वारा कम्पनी को वित्तीय हानि हेतु उतरदायित्व तय करने के लिए सीसीएल के अधिकारियों की जांच हेतु एमाओसी को भेजा गया है।

इस प्रकार लाभकारी प्रभारों के गैर-संशोधन के कारण कम्पनी को ₹ 73.63 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2012 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2013)।